सतर्कता

विभाग का सर्तकता अनुभाग विभाग के सतर्कता कार्यों के समन्वय और पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी है । संयुक्त सचिव स्तर के मुख्य सतर्कता अधिकारी इसके प्रमुख हैं जिनकी नियुक्ति केंद्रीय सतर्कता आयोगं के अनुमोदन से की जाती है । सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग के अधीन एक स्वायत्त निकाय अर्थात् भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है जिसके लिए एक पूर्णकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी है ।

12.1.2 वर्ष 2005-06 के दौरान प्राप्त शिकायतों पर यथापेक्षा केंद्रीय सतर्कता आयोग से परामर्श करके निपटान करने के अतिरिक्त निवारक सतर्कता की भूमिका पर विशेष बल दिया गया जिसमें प्रक्रिया का सरलीकरण, निर्णय लेने में प्रत्यायोजन, लोक शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करना और जनता के साथ कामकाज में पारदर्शिता लाना आदि शामिल हैं ।

12.1.3 विभाग में 7-11 नवम्बर, 2005 के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया । विभाग के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई । सतर्कता जागरुकता सप्ताह के दौरान एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और विजेताओं को पुरस्कार दिए गए ।